उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-33/2020/132/92-2-2020-01टी0ए0सी0/2018,

लखनऊ :: दिनांक:: 12 फरवरी, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, जनपद-पीलीभीत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मेसर्स एन0एल0 कान्स्ट्रक्शन मो0 इनायतगंज द्वारा बनायी गयी बस्ती रोड से दुधिया खुर्द मार्ग की टी0ए0सी0 जांच आख्या में निर्माण कार्य पर समुचित निरीक्षण/पर्येवेक्षण न करने आदि अनियमितताओं हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-142/2018/2498/92-2-2018-01टी0ए0सी0/2018, दिनांक 16.10.2018 द्वारा श्री गोपाल किशोर, सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0 पीलीभीत के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासनिक एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-आगरा को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- शासन के पत्र संख्या-2842/92-2-2018-01टी0ए0सी0(जांच)/2018, दिनांक 12.11.2018 द्वारा अपचारी अधिकारी श्री गोपाल किशोर, सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0 पीलीभीत के विरूद्ध अनुमोदित आरोप पत्र शासन के पत्र दिनांक 13.11.2018 द्वारा जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-आगरा को प्रेषित करते हुए नियमानुसार जांच कार्यवाही पूर्ण कर जांच आख्या शासन में निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जांच अधिकारी ने अपचारी अधिकारी श्री गोपाल किशोर के विरूद्ध अधिरोपित कुल-01 आरोप को अपचारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये बचाव उत्तर व संलग्न साक्ष्य स्वरूप अभिलेखों के सापेक्ष जांच आख्या की विवेचना में प्रमाणित नहीं पाया गया।

3- अपचारी अधिकारी श्री गोपाल किशोर के विरूद्ध अधिरोपित आरोप संख्या-1 को जांच अधिकारी की जांच आख्या/विवेचना में अपचारी अधिकारी श्री गोपाल किशोर के बचाव उत्तर के सापेक्ष प्रमाणित नहीं पाया गया है। अतः जांच अधिकारी की जांच आख्या एवं अन्य संगत अभिलेखों के सम्यक परीक्षणोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-142/2018/2498/92-2-2018-01टी0ए0सी0/2018, दिनांक 16.10.2018 द्वारा श्री गोपाल किशोर, सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0 पीलीभीत के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को दण्ड रहित समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन

अपर मुख्य सचिव।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-33/2020/132(1)/92-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अभि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल आगरा।

3- श्री गोपाल किशोर, सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0 पीलीभीत द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभि0 वि0, उ0प्र0 लखनऊ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasana esh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।